

प्रकरण क्रमांक-1007 / 12 विद्युत

म.प्र.म.क्षे.वि. वितरण कंपनी भिण्ड बनाम

1. कुंवर बहादुर कुशवाह,
2. श्रीमती सुमन सोनी पत्नी रतनलाल सोनी,
3. रामस्वरूप गुप्ता पुत्र हरचन्द्र गुप्ता,
4. रामस्वरूप कुशवाह

निवासीगण- महावीरगंज, भिण्ड, जिला भिण्ड

परिवादी द्वारा श्री भानुप्रताप शर्मा अधिवक्ता।

अभियुक्त रामप्रताप जोशी अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त रामप्रताप जोशी की उपस्थिति हेतु नियत है।

पुलिस थाना सिटी कोतवाली जिला भिण्ड से अभियुक्त रामप्रताप जोशी का गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वह फरार हो गया है एवं ज्ञात पते पर पर्याप्त प्रयासों के बाद भी नहीं मिल रहा है। फरारी साक्ष्य में साक्षी आरक्षक सतेन्द्र शर्मा उपस्थित हैं।

उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द0प्र0सं0 लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है।

उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये अभियुक्त रामप्रताप जोशी को फरार घोषित किया जाता है। उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित आरक्षक सतेन्द्र शर्मा को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे।

धारा 82 द0प्र0सं0 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्त की सम्पत्ति का विवरण पेश करे।

प्रकरण में आरोपी फरार हैं। तदनुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखागार किया जावे।

सही / -

(डॉ० कुलदीप जैन)

विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड